(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

गोगा बनाम शंकरलाल वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 05 सन् 2023

2025/62

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
02.02.23	अधिवक्ता प्रार्थीया ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि भूमि आराजी ख0न0 101, 191, 358, 08 कुल किता 04 कुल रकबा 1.5807 हैक्ट. व ख0न0 356, 374, 375, 376, 434 कुल किता 05 कुल रकबा 4.9569 हैक्ट. व ख0न0 199, 203, 205, 324, 251, 253, 254, 264, 599/91, 62, 65, 66 कुल किता 12 कुल रकबा 2.8071 हैक्ट. वाके ग्राम खेडूल्या पटवार हल्का हाडीखुर्द तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं। जिसकी प्रार्थिया वास्तविक खातेदार तथा काबिज सहकृषक है तथा मौके पर काबिज चली आ रही है तथा अपने हिस्से का उपयोग उपभोग कर रही है। उपरोक्त वर्णित भूमियां प्रार्थिया का पिता रामपाल पुत्र धन्ना गुर्जर सहकृषक के रूप में दर्ज रिकॉर्ड था, फौत हो चुका है। जिनके वारिसान प्रार्थिया व प्रतिपक्षी संख्या 02 ता 05 हैं। रामपाल के कोई पुत्र संतान नहीं है। लेकिन उसके देहान्त के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 425 दिनांक 25.05. 1999 में ग्राम पंचायत डारडातुर्की ने प्रार्थिया व प्रतिपक्षी संख्या 02 का नाम अंकित नहीं किया गया है। बल्कि केवल प्रतिपक्षी संख्या 03 ता 05 के नाम तथा प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम जो कि रामपाल का पुत्र न होकर, रामलाल का पुत्र है। उसको रामपाल का पुत्र मानकर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जबकि रामपाल के वारिसानों में केवल उसकी पुत्रीयां एव पत्नि विरासत की हकदार है। जो कि प्रार्थीया व प्रतिपक्षी संख्या 02 ता 05 है। इस प्रकार रामपाल की उक्त वर्णित भूमियों में प्रार्थीया व प्रतिपक्षी संख्य 02 ता 05 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहित है। प्रतिपक्षी संख्या 01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके अपने आपको रामपाल का पुत्र बताकर मिथ्या सत्यापन, झूठा प्रार्थना पत्र देकर छल–कपट तथा बेईमानी से उत्प्रेरित होकर जमीन हडपने के उद्देश्य से रामपाल की विरासत का नामान्तकरण संख्या 425 से राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करवा लिया है। जो कि नुमाईशी अंकन है। उक्त त्रुटीपूर्ण अंकन का प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षी संख्या 01 व 03 ता 05 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।	64-69 6/2/22

...खण्ड अधिकारी
...पलू (टोंक)

हमने बहस प्रार्थीया एकतरफा सुनी। दौराने बहस में अधिवक्ता प्रार्थीया ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित भूमियां में प्रार्थिया वास्तविक खातेदार तथा काबिज सहकृषक है तथा मौके पर काबिज चली आ रही है तथा अपने हिस्से का उपयोग उपभोग कर रही है। उपरोक्त वर्णित भूमियां प्रार्थिया का पिता रामपाल पुत्र धन्ना गुर्जर सहकृषक के रूप में दर्ज रिकॉर्ड था, फौत हो चुका है। जिनके वारिसान प्रार्थिया व प्रतिपक्षी संख्या 02 ता 05 हैं। रामपाल के कोई पुत्र संतान नहीं है। लेकिन उसके देहान्त के पश्चात उसकी विरासत का नामान्तकरण संख्या 425 दिनांक 25.05.1999 में ग्राम पंचायत डारडातुर्की ने प्रार्थिया व प्रतिपक्षी संख्या 02 का नाम अंकित नहीं किया गया है। बल्कि केवल प्रतिपक्षी संख्या 03 ता 05 के नाम तथा प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम जो कि रामपाल का पुत्र न होकर, रामलाल का पुत्र है। उसको रामपाल का पुत्र मानकर उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जबकि रामपाल के वारिसानों में केवल उसकी पुत्रीयां एव पत्नि विरासत की हकदार है। जो कि प्रार्थीया व प्रतिपक्षी संख्या 02 ता 05 है। इस प्रकार रामपाल की उक्त वर्णित भूमियों में प्रार्थीया व प्रतिपक्षी संख्य 02 ता 05 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा निहित है। प्रतिपक्षी संख्या 01 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके अपने आपको रामपाल का पुत्र बताकर मिथ्या सत्यापन, झूठा प्रार्थना पत्र देकर छल–कपट तथा बेईमानी से उत्प्रेरित होकर जमीन हडपने के उद्देश्य से रामपाल की विरासत का नामान्तकरण संख्या 425 से राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अंकित करवा लिया है। जो कि नुमाईशी अंकन है। उक्त त्रुटीपूर्ण अंकन का प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं। अतः प्रतिपक्षी संख्या 01 व 03 ता 05 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं।

प्रकरण में प्राइमाफेसीयॉ केस प्रार्थीया के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 व 03 ता 05 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि वे वह उक्त वर्णित आराजीयात का रहन, दान, बेचान नहीं करे एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखे। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करें। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 28.02.2023 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

FORM NO. III

APP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू जिला - टोंक

गोगा बनाम शंकरलाल

किस्म मुकदमा नं. 05 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/02/23	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 13.04.23 को पेश हो. Ram	
13/04/23	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 08/06/23 को पेश हो. Ram	
8/6/23	पी.ओ. साहब अवकाश / स्थानान्तरण / भ्रमण पर होने से दिनांक 27/7/23 को पेश हो	
27/7/23	पत्रावली पेश हुई सम्मन तलबाना पेश होकर पत्रावली दिनांक 26-9-23 को पेश हो	
26/09/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 28/11/23 पेश हो। Ram	
28/11/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 23/01/24 पेश हो। Ram	
23/01/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रवादी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली गत आदेशिका अनुसार दिनांक 27.03.2024 पेश हो। Ram	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर
27/03/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ... आदेशानुसार दिनांक 07/05/24.......पेश हो। Ram	
07/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ... आदेशानुसार दिनांक 08/05/24......पेश हो। Ram	
08/05/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व पक्षकारान अनुपस्थित रहे। बार-2 आवाजे लगायी गई। परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अन्तिम आवाज समय: 5:00 बजे लगायी गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी, पीपलू (टोंक)	

Scanned with OKEN Scanner

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

गोगा बनाम शंकरलाल वगै0

किस्म मुकदमा--प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 16 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
10.03.25	प्रार्थना पत्र पुनः नम्बर पर लिये जाने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 05/2023 बउनवानी गोगा बनाम शंकरलाल वगै0 बाबत् प्रार्थना पत्र संख्या 04/2024 निर्णय दिनांक 22.01.2025 स्वीकार होने पर पत्रावली आज पुनः नम्बर पर ली गई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षीगण जारी हो। पत्रावली दिनांक 08.05.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	
8/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी अनुपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ...त आदेशिका अनुसार दिनांक 22/5/25.....पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/05/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप०। प्रतिपक्षी संख्या 01, 06, 07 तामिल नोटिस प्राप्त। प्रतिपक्षी ... की तामिल हो चुकी है। शेष प्रतिपक्षी ... की तामिल हेतु समन/नोटिस पेश हो। पत्रावली दिनांक 03.06.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
03/06/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी अनुपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ...त आदेशिका अनुसार दिनांक 26.06.25.....पेश हो। (हस्ताक्षर)	
26/06/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप०। तामिल नोटिस प्राप्त। प्रतिपक्षीगण की तामिल हो चुकी है। पत्रावली वास्ते स्नयर पक्षकार दिनांक 08.07.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

08 07/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। प्रतिपक्षीगण की तामिल हो चुकी है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 29.07.25 को पेश हो।

29 07/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ल आदेशिका अनुसार दिनांक 03.09.25......पेश हो।

03 09/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ल आदेशिका अनुसार दिनांक 25.09.25......पेश हो।

25 9/25
पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पी.ओ साहब राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली ल आदेशिका अनुसार दिनांक 30-10-25......पेश हो।

30 10/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तामिल नोटिस प्राप्त। प्रतिपक्षी संख्या 01 लगा. 04 की तामिल हो चुकी है। बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिपक्षी संख्या 01 लगा. 04 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली दिनांक 04.11.25 को पेश हो।

04 11/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। तामिल नोटिस प्राप्त। प्रतिपक्षी संख्या 06, 07 की तामिल हो चुकी है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07.11.25 को पेश हो।

7 11/25 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13-11-25 को पेश हो।

FORM NO. III APP-A Civil

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम ....

इजलास .... बनाम ....

गोगा .... शंकरलाल वगैरा

मुकदमा .... नं. 16 सन 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/11/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी [illegible] अनुसार दिनांक 18.11.25 अत्र पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/11/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 09.12.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
09/12/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23.12.2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/12/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप.। पत्रावली मूल वाद डिग्री किये जाने के कारण पत्रावली में अन्तिम कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	